

राज0 सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक/ई/राजप/सू0अ0-05/एफ-385(15)/2024/

दिनांक

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर, अजमेर,
कोटा, भरतपुर,
जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर ।

विषय	सूचना के अधिकार अधिनियम-05 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त को वर्ष 2020 (1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020) की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।
संदर्भ	राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पत्रांक 28 दिनांक 2.1.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत माननीय राज0 सूचना आयोग, जयपुर द्वारा वर्ष 2023 (01 जनवरी 2023 से दिसम्बर 2023) का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। जिसके लिये धारा 25(3) के तहत समस्त लोक प्राधिकरणों को सूचना देना अनिवार्य है।

अतः लेख है कि निर्धारित प्रारूप-I व प्रारूप II में आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, समस्त सीएचसी/पीएचसी से सूचना संकलित कर एवं समस्त सूचना को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के प्रारूप अनुसार (प्रारूप संलग्न) आपके स्तर पर ही ईकजाई कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। ताकि माननीय राज0 सूचना आयोग के समक्ष वार्षिक कार्य मुल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

विलम्ब होने पर किसी भी विपरित प्रभाव की जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर, राज0।

क्रमांक/ई/राजप/सू0अ0-05/एफ-385(15)/2024/34

दिनांक 6-2-24

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज0 सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राज0 को उनके कार्यालय के पत्रांक प03(1)/रा.सू.आ./वा.प्रति./2023/28 दिनांक 02.01.2024 के क्रम में।
2. शासन उप सचिव (समन्वय) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए सम्बन्धित अधिकारियों की मेल आआईडी पर भी अपलोड करवाने का श्रम करावें।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर, राज0।



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस कैंपस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक पं.3(1)रा.सू.आ./वा.प्रति./2023/२४

दिनांक 02 JAN 2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव
नियंत्रण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
राजस्थान सचिवालय
जयपुर - 302005

ACS, M&H Deptt.
No. 247
Date 11/01/24

URGENT

DS(C)

महोदय,

50(RTV)

सूचना कुरंत मित्रवार

11/01/2024

09.01.2024
ACS, M&H

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में पत्र प्रेषित कर निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2023 (01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023) का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना है, जिसके लिए धारा 25(3) के तहत समस्त लोक प्राधिकरणों को सूचना देना अनिवार्य है।

अतः निवेदन है कि निर्धारित प्रारूप-I व II, III में सूचना अपने अधीनस्थ समस्त विभागों/कार्यालयों से प्राप्ता कर इन्हें आपके स्तर पर ही जिलेवार एकत्रित कर आयोग को दिनांक 16 जनवरी 2024 तक भिजवाने के निर्देश प्रदान करावें।

प्रारूप-I

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत निस्तारित आवेदन

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन (संख्या)				सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	समयावधि वर्ष 2023
जिले का नाम	मुख्यालय स्तर पर	जिला स्तर पर	कुल	समयावधि में	समयावधि पश्चात			प्राप्त राशि रूपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:- कालम 4=2+3 एवं कालम 5+6+7+8=4

प्रारूप-II

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण प्रथम अपीलीय प्राधिकारी..... विभाग.....समयावधि वर्ष 2023

राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदनों की (संख्या)				निस्तारित		लम्बित (संख्या)
जिले का नाम	मुख्यालय स्तर पर	जिला स्तर पर	कुल प्राप्त अपीले (संख्या)	रद्दीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6	7

नोट:- कालम 4=2+3 एवं कालम 5+6+7=4

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

प्रारूप-III

विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2023 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संदर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

विभाग का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय

सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर

Priyanka

TIC.rajasthan@yahoo mail.com